

## झारखण्ड सरकार

### श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

#### अधिसूचना

एस0ओ0 .....

दिनांक.....

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा-3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद संबंधी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नियोजनों में (संलग्न अनुसूचित नियोजनों में विनिर्दिष्ट) नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड(डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्रम सं०	अनुसूचित नियोजनों के नाम	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2016 = 100)
१	२	३	४
1	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	जुलाई, 2021	122.8
2	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन	अगस्त, 2021	123.0
3	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	सितम्बर, 2021	123.3
4	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	अक्टूबर, 2021	124.9
5	डिस्टीलरी के नियोजन	नवम्बर, 2021	125.7
6	पाट्रीज़ के नियोजन	दिसम्बर, 2021	125.4
7	बेकरीज़ एवं कान्फकेशन के नियोजन	कुल	745.1
		Conversion from new series (2016 = 100) to Old series (2001 = 100)	745.1 X 2.88 = 2145.88
8	को-आपरेटिव सेक्टर के नियोजन	6 माह का औसत	$\frac{2145.88}{6} = 357.64 = 358$
9	अल्युमिनियम उद्योग के नियोजन	24.10.2019 में पुनरीक्षित/निर्धारित बिन्दु अर्थात् वृद्धि	301 358-301=57 बिन्दु
10	खण्डसारी उद्योग के नियोजन	प्रतिशत वृद्धि = $\frac{57 \times 100}{301}$	18.94 % की वृद्धि
11	केमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन		
12	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन		
13	सीमेंट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन		
14	एसबेस्ट्स सीमेंट कारखाना के नियोजन		
15	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन		


16	बन्दुक कारखाने के नियोजन		
17	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन		
18	पेपर उद्योग के नियोजन		
19	लॉन्ड्री एवं वॉशिंग के नियोजन		
20	होजियारी निर्माण के नियोजन		
21	सिंदूर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन		
22	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन		
23	उड वक्स एवं फर्नीचर के नियोजन		
24	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिक्स के नियोजन		
25	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स के नियोजन		
26	फिशरीज के नियोजन		
27	खादी ग्रामोद्योग के नियोजन		
28	प्राइवेटफेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन		
29	हार्ड कोक भट्ठा के नियोजन		
30	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लिनिक्स के नियोजन		
31	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन		
32	मुद्रणालय के नियोजन		
33	अबरक कार्यों(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन		
34	हैंडलूम उद्योग के नियोजन		
35	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन		
36	रिफैक्ट्रीज फायरब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन		
37	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन		
38	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन		
39	किसी विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन		
40	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओ के नियोजन		
41	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन		
42	डेयरी एवं पोल्ट्री फर्म्स के नियोजन		
43	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन		
44	सिनेमा उद्योग के नियोजन		
45	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन के नियोजन		
46	सिलाई उद्योग के नियोजन		

47	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन		
48	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन		
49	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन		
50	सीमेंट से ह्यूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन		
51	कृषि नियोजन		
52	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन		
53	शीशा उद्योग के नियोजन(ग्लासशीट को छोड़कर) के नियोजक		
54	दफ्ती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन		
55	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नियोजन		
56	प्लाइवूड उद्योग के नियोजन		
57	ढलाई(फऊण्डी उद्योग) के नियोजन		
58	बिस्कुट उद्योग के नियोजन		
59	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन		
60	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन		
61	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन		
62	मिनरल ग्राईडिंग के नियोजन		
63	बुहारने और सफाई का कार्य के नियोजन		
64	स्पंज आइरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन		
65	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप के नियोजन		
66	मोटर बाडीबिल्डिंग के नियोजन		
67	मेस, कैंटीन एवं क्लब के नियोजन		
68	चार्टर्ड/कॉस्ट अकऊन्ट्स/ऑडिटर/टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आर्किटेक के नियोजन		
69	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इन्स्टीच्यूट , निजी स्कूल आदि के नियोजन		
70	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाईप लाइन एवं केबुल बिछाने के नियोजन		
71	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन		
72	पंडाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन		
73	ग्राईडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल ओर के नियोजन		
74	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर/खलासी/ परिचालक आदि के नियोजन		

75	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन		
76	मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य		
77	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्त) अधि० १९७६ से आच्छादित नियोजन		

परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-४ में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाए जिस पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई है, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील महँगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी। परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जुलाई से दिसम्बर, 2021 (वर्ष 2021 का द्वितीय अर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक- 01.04.2022 की तिथि से देय होगा।  
(संख्या-२/ एम०डब्लू०-२०७१/२०१०,श्र० नि०.....5००..... राँची, दिनांक..13/04/2022

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
सरकार के अवर सचिव।

### अधिसूचना


एस० ओ०.....

दिनांक.....

का अँग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद- ३४८ के खण्ड-३ के अधीन अँग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(संख्या-२/ एम०डब्लू०-२०७१/२०१०,श्र० नि०.....5०1..... राँची, दिनांक..13/04/2022

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
सरकार के अवर सचिव।

५

**NOTIFICATION**

S.O...../

dated .....

In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in employments mentioned in column-2 of the schedule below here appended (herein after referred to as the scheduled employment) for the months shown in column-3 of the said schedule shall be as shown in column-4 of the schedule for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

Sl. No.	Scheduled Employment	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2016 = 100)
1	2	3	4
1	Dam Construction and Irrigation	July, 2021	122.8
2	Shops Selling Cooked food stuff	August, 2021	123.0
3	Tanneries and Leather Manufactory	September, 2021	123.3
4	Cold Storage	October, 2021	124.9
5	Distilleries	November, 2021	125.7
6	Potteries	December, 2021	125.4
7	Bakeries and Confectionaries	Total	745.1
8	Co-Operative Sector		Conversion from new series (2016 = 100) to Old series (2001 = 100) $745.1 \times 2.88 = 2145.88$
9	Aluminum Industry	Average $\frac{2145.88}{6}$ Revised /fixed price index no. on-24.10.2019 $= 357.64 = 358$ 301 Point Increase $358-301 = 57$ Point $\frac{57 \times 100}{301}$ $= 18.94$ % की वृद्धि Percentage Increase	
10	Khand sari Industry		
11	Chemical Pharmaceutical Industry		
12	Soap Making Industry		
13	Cement Pre-Stressed Product Industry		
14	Asbestos Cement factory		

15	Glass Sheet Industry		
16	Gun factory		
17	Religious and Social Industry		
18	Paper Industry		
19	Laundry and Washing		
20	Hosieries Manufacturing		
21	Manufacture of Sindur and Rang		
22	Manufacture of leather goods		
23	Wood work and Furniture		
24	Ice-cream and Cold drink		
25	Petrol and Diesel Pump		
26	Fisheries		
27	Khadi and Village Industry		
28	Private Ferrise and L.T.C.		
29	Hard Coke Oven		
30	Private Hospital, Nursing		
31	Construction or maintenance of Road or in building construction		
32	Printing Press		
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)		
34	Handloom Industry		
35	Manufacture of Gold Articles of stistic design		
36	Refractories, Fire bricks ceramic Industry		
37	Any shop or Establishment		
38	Public Motor Transport		
39	Any University, Education Research of lultural Institution		
40	Hotels, Eating House and Resturant		
41	Any, Woolen Carpet making of Showl weaving Establishment		
42	Dairies and Poultry Farms		
43	Auto Mobile Engineering		
44	Cinema Industry		
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills		

46	Tailoring Industry		
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)		
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry		
49	Plastic Industry		
50	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry		
51	Employment in Agriculture		
52	Book Binding Industry		
53	Employment of Glass Industries (Excluding Glass sheet)		
54	Dafti, Card Board, Mill Board, Corrageted Board, Gatta Board Manufactory		
55	Electronics Industry		
56	Plywood Industry		
57	Foundry Industry		
58	Biscuit Industry		
59	Coal Briquette Industry		
60	Private Security Agency		
61	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)		
62	Mineral Grinding Industry		
63	Employment of Sweeping and Cleaning		
64	Sponse Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots		
65	Employment in Motor garages and workshops		
66	Employment of Motor Body Building.		
67	Employment of Mess, Canteens and Clubs		
68	Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect.		
69	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)		
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.		
71	Employment in Electricity Generator and supply		
72	Employment in Decoration of Pandal etc.		
73	Grinding and crushing of Mineral ore.		
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and		

	Cleaners.		
75	Computer Coaching Institute etc.		
76	Employment of Mobile Tower etc.		
77	Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976		

The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the above schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages have been fixed/revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of July-December, 2021, which is 2nd half of 2021, will be payable from 01.04.2022

[No-2/MW-2071/2010 L&T- 500 Ranchi, Dated 13/04/2022]

By Order of the Governor of Jharkhand,

*2538*  
*8/4/22*

Under Secretary to Government

ज्ञापांक -२/एम०डब्लू०-२०७२/२०१०श्र०नि०.....500.....राँची,दिनांक.....13/04/2022

प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की ५००प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

*2538*  
*8/4/22*

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-२/एम०डब्लू०-२०७२/२०१०श्र०नि०.....500.....राँची,दिनांक.....13/04/2022

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।


*2538*  
*8/4/22*

सरकार के अवर सचिव।

१

जापांक-२/एम०डब्लू०-२०७२/२०१०श्र०नि०.....500.....राँची,दिनांक...13/04/2022

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल),भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त(केन्द्रीय), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली / क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/ निदेशक,लेबर ब्यूरो,शिमला /चण्डीगढ़ /स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/ सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी उपविकास आयुक्त, झारखण्ड/ सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद(केन्द्रीय)श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद के सभी सदस्यगण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम,रांची/ निदेशक,सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची/ सभी विभागीय पदाधिकारियों(तकनीकी सहित)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।

७

## अनुसूची-1

क्रमसं०	अनुसूचित नियोजनों का नाम	अधिसूचना सं० एवं तिथि	जुलाई से दिसम्बर 2018 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई है।	से जुलाई, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर महँगाई भत्ता देय है।	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि (५ - ४)	बढ़े हुए मूल्य सूचकांक पर परिवर्तनशील महँगाई की अतिरिक्त राशि	तिथि जब से परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि देनी होगी।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	अधिसूचना सं० -1879 दिनांक- 24.10.19	301	358	358-301 =57 बिन्दु अर्थात् $\frac{57 \times 100}{301}$ =18.94% की वृद्धि	क) रु० 274.81 पर रु० 52.04 प्रतिदिन ख) रु० 287.90 पर रु० 54.53 प्रतिदिन ग) रु० 379.51 पर रु० 71.88 प्रतिदिन घ) रु० 438.39 पर रु० 83.03 प्रतिदिन <u>मासिक</u>	दिनांक- 01.04.2022 से देय
2	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन						
3	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	तदैव				क) रु० 7145.06 पर रु० 1353.27 प्रतिमाह ख) रु० 7485.40 पर रु० 1417.73 प्रतिमाह ग) 9867.26 पर रु० 1868.86 प्रतिमाह	
4	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	तदैव				घ) रु० 11398.14 पर रु० 2158.81 प्रतिमाह	
5	डिस्टीलरी के नियोजन	तदैव					
6	पोट्रीज़ के नियोजन	तदैव					
7	बेकरीज़ एवं कान्फकेशन के नियोजन	तदैव					
8	को-आपरेटिव सेक्टर के नियोजन	तदैव					

----:2:----

1	2	3	4	5	6	7	8
9	अल्यूमिनियम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
10	खण्डसारी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
11	केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
12	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
13	सीमेंट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
14	एसबेस्ट्स सीमेंट कारखाना के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
15	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
16	बन्दुक कारखाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
17	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
18	पेपर उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
19	लॉन्ड्री एवं वॉशिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
20	होजियारी निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
21	सिंदूर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
22	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
23	उड वर्क्स एवं फर्नीचर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
24	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
25	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8
26	फिशरीज़ के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
27	खादी ग्रामोध्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
28	प्राइवेटफेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
29	हार्ड कोक भट्ठा के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
30	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लिनिक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
31	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
32	मुद्रणालय के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
33	अबरक कार्यों(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
34	हैंडलूम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
35	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
36	रिफ़ैक्ट्रीज फायरब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
37	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
38	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
39	किसी विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
40	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओ के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8
41	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
42	डेयरी एवं पोल्ट्री फर्म्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
43	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
44	सिनेमा उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
45	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
46	सिताई उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
47	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
48	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
49	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
50	सीमेंट से ह्यूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
51	कृषि नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
52	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
53	शीशा उद्योग के नियोजन(ग्लासशीट को छोड़कर) के नियोजक	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
54	दफती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव




-----6:-----

1	2	3	4	5	6	7	8
71	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
72	पंडाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
73	ग्राईडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल ओर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
74	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राईवर/ खलासी/ परिचालक आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
75	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
76	मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
77	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधि० १९७६ से आच्छादित नियोजन		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

(संख्या-२/एम०डबल्यू०-२०७१/२०१०,श्र०नि०-500-राँची, दिनांक 13/04/22)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
सरकार के अवर सचिव।

५

## Schedule-I

Sl No	Name of the Schedule Employment	Notification No. and Date	Average of indices of July-December, 2018 of Minimum rates of wages revised	Average of indices of July, 2021 to December, 2021 on which V.D.A. is payable	Total Variation on Index (5-4)	Amount of V.D.A. on the basis of increase in Price Index slab wise	Date from which additional V.D.A. is payable
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Dam Construction and Irrigation	Notification No-1879 Date-24-10-19	301	358	358-301 =57 Or $\frac{57 \times 100}{301} = 18.94\%$	(a) On Rs. 274.81 per day Rs. 52.04 (b) On Rs. 287.90 per day Rs. 54.53 (c) On Rs. 379.51 per day Rs. 71.88 (d) Rs. 438.39 and above Rs. 83.03 per day	From-01.04.2022
2	Shops Selling Cooked food stuff	-Do-					
3	Tanneries and Leather Manufactory	-Do-					
4	Cold Storage	-Do-					
5	Distilleries	-Do-					
6	Potteries	-Do-					
7	Bakeries and Confectionaries	-Do-					
						<p style="text-align: center;"><b>Monthly</b></p> (a) On Rs. 7145.06 per month Rs. 1353.27 (b) On Rs. 7485.40 per month Rs. 1417.73 (c) On Rs.9867.26 per month Rs.1868.86 (d) Rs. 11398.14 and above Rs.2158.81 per month	

5

0	1	2	3	4	5	6	7	8
8	Co-Operative Sector	-Do-						
9	Aluminum Industry	-Do-						
10	Khandsari Industry	-Do-						
11	Chemical Pharmaceutical Industry	-Do-						
12	Soap Making Industry	-Do-						
13	Cement Pre-Stressed Product Industry	-Do-						
14	Asbestos Cement factory	-Do-						
15	Glass Sheet Industry	-Do-						
16	Gun factory	-Do-						
<del>17</del>	<del>Religious and Social Industry</del>	<del>-Do-</del>						
18	Paper Industry	-Do-						
19	Laundry and Washing	-Do-						
20	Hosieries Manufacturing	-Do-						
21	Manufacture of Sindur and Rang	-Do-						
22	Manufacture of leather goods	-Do-						
23	Wood work and Furniture	-Do-						
24	Ice-cream and Cold drink	-Do-						
25	Petrol and Diesel Pump	-Do-						
26	Fisheries	-Do-						
27	Khadi and Village Industry	-Do-						
28	Private Ferries and L.T.C.	-Do-						
29	Hard Coke Oven	-Do-						

0	1	2	3	4	5	6	7	8
30	Private Hospital, Nursing	-Do-						
31	Construction or maintenance of Road or in building construction	-Do-						
32	Printing Press	-Do-						
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)	-Do-						
34	Handloom Industry	-Do-						
35	Manufacture of Gold Articles of stistic design	-Do-						
36	Refractory's, Fire bricks ceramic Industry	-Do-						
37	Any shop or Establishment	-Do-						
38	Public Motor Transport	-Do-						
39	Any University, Educational Research or Cultural Institution	-Do-						
40	Hotels, Eating House and Restaurant	-Do-						
41	Any, Woolen Carpet making of Showl weaving Establishment	-Do-						
42	Dairies and Poultry Farms	-Do-						
43	Auto Mobile Engineering	-Do-						
44	Cinema Industry	-Do-						
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills	-Do-						
46	Tailoring Industry	-Do-						
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)	-Do-						
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry	-Do-						
49	Plastic Industry	-Do-						



	Pipe line.							
71	Employment in Electricity Generator and supply	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
72	Employment in Decoration of Pandal etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
73	Grinding and crushing of Mineral ore.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
75	Computer Coaching Institute etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
76	Employment of Mobile Tower etc.	Notification No-1469, 1470 Date 14.08.2015	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
77	Employment of Sales and Promotion(Regulation Abolition) Act, 1976	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

[No-2/MW-2071/2010, L & T-.....501.....Ranchi, Dated ..13/04/2012

By order of the Governor of Jharkhand,

*JSS*  
*8/4/22*

Under Secretary to Government

7

**झारखण्ड सरकार**  
**श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग**  
**अधिसूचना**

एस0ओ0 .....

दिनांक .....

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा-3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद् संबंधी संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक तालिका के स्तम्भ-2 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (डी) के प्रयोजन के निमित्त तालिका के स्तम्भ-3 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्र० सं०	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2016 = 100)
1	2	3
1.	जनवरी, 2024	138.9
2.	फरवरी, 2024	139.2
3.	मार्च, 2024	138.9
4.	अप्रैल, 2024	139.4
5.	मई, 2024	139.9
6.	जून, 2024	141.4
7.	कुल	837.7
8.	6 माह का औसत	$837.7 \div 6 = 139.616$
9.	Conversion from new series (2016 = 100) to Old series (2001 = 100)	$139.616 \times 2.88 = 402.09$ या <b>402</b>
10.	जनवरी, 2023 से जून, 2023 की अवधि के आधार पर पुनरीक्षित/निर्धारित औसत सूचकांक सूचकांक में वृद्धि	386 बिन्दु $402 - 386 = 16$ बिन्दु
11.	प्रतिशत वृद्धि = $\frac{16 \times 100}{386}$	<b>4.14 %</b>

2. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर संलग्न अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उल्लेखनीय है कि जनवरी, 2023 से जून, 2023 की अवधि के औसत सूचकांक के आधार पर व झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद के बैठक के आधार पर पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें दिनांक-11.03.2024 से प्रभावी है।



3. माह जुलाई, 2023 से दिसम्बर, 2023 की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 14 बिन्दु की बढ़ोत्तरी हुई थी परन्तु दिनांक-11.03.2024 से पुनरीक्षित मूल मजदूरी लागू किए जाने के कारण परिवर्तनशील महँगाई भत्ता घोषित नहीं करने का निर्णय लिया गया था।
4. सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील महँगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी।
5. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का भुगतान हेतु दर , जो जनवरी से जून, 2024 (वर्ष-2024 का प्रथम अर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक-01.10.2024 की तिथि से देय होगा।

संख्या-2/एम0डब्लू0-2071/2010 (भाग-3), श्र0नि0, 1846, राँची, दिनांक 14/10/24

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Rc.  
14/10/24  
अवर सचिव,

श्रमायुक्त, कार्यालय, झारखण्ड।

### अधिसूचना

एस0ओ0.....दिनांक ..... का अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Rc.  
14/10/24  
अवर सचिव,

श्रमायुक्त, कार्यालय, झारखण्ड।

## NOTIFICATION

S.O...../dated ...../In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in schedule employments mentioned in the attached Schedule-1, for the months shown in column-2 of the schedule mentioned below, shall be as shown in column-3 of the said schedule for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

S.N.	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2016 =100)
1	2	3
1	January, 2024	138.9
2	February, 2024	139.2
3	March, 2024	138.9
4	April, 2024	139.4
5	May, 2024	139.9
6	June, 2024	141.4
7	<b>Total</b>	<b>837.7</b>
8	Average	$837.7 \div 6 = 139.616$
9	Conversion from new series (2016 = 100) to Old series (2001 = 100)	$139.616 \times 2.88 = 402.09$ OR, <b>402</b>
10	Revised/determined average index based on the period January, 2023 to June, 2023	<b>386 Point</b>
	Increase in CPI	$402 - 386 = 16 \text{ Point}$
11	<b>Percentage Increase = <math>\frac{16 \times 100}{386}</math></b>	<b>4.14 % increase</b>

2. The rates of variable dearness allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the schedule employments. It is noteworthy that on the basis of the average index for the period from January, 2023 to June, 2023 and on the basis of the meeting of Jharkhand Minimum Wage Advisory Board, the revised basic rates of minimum wage are effective from 11.03.2024.
3. All India Consumer Price Index for the period of July 2023 to December 2023, there was an increase of 14 points but due to the implementation of revised basic minimum wages from dated 11.03.2024 , it was decided not to declare Variable Dearness Allowance for the said period.



4. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column-3 of schedule with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages had been fixed/revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.
5. The payment of variable dearness allowance are on the basis of average of All India Consumer Price Index of January-June, 2024, which is 1<sup>st</sup> half of 2024, will be payable **from 01.10.2024.**

No-2/MW-2071/2010(Bhag-3) L&T- 1846 Ranchi, Dated 14/10/24

By Order of the Governor of Jharkhand,

*R.C.*  
*14/10/2024*  
**Under Secretary,**

Labour Commissioner Office, Jharkhand.

## अनुसूची - 1

दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद के बैठक में हुए सहमति के आलोक में न्यूनतम मजदूरी पुनरीक्षण हेतु निर्धारित 90 अधिसूचित नियोजनों (12 खण्ड दर नियोजन सहित) का वर्गीकरण एवं झारखण्ड राज्य के क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नवत है :-

### 90 अनुसूचित नियोजन (खण्ड दर नियोजन सहित) का वर्गीकरण

क्र० सं०	श्रेणी "क" (कुल 49 नियोजन)	क्र० सं०	श्रेणी "ख" (कुल 41 नियोजन)
1	2	3	4
1.	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों में नियोजन	1.	खण्ड सारी उद्योग में नियोजन
2	पेट्रोल एवं डीजल पम्पस में नियोजन	2.	खादी ग्रामोद्योग में नियोजन
3	इस अनुसूची में किसी भी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत आने वाले के अलावा दुकानों या प्रतिष्ठानों या उद्योगों में नियोजन	3.	अबरक कार्यों(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) में नियोजन
4	होटल, भोजन-गृहों एवं रेस्तराओं में नियोजन	4.	हैंडलूम उद्योग में नियोजन
5	सिनेमा उद्योग में नियोजन	5.	को-आपरेटिव सेक्टर में नियोजन
6	मेस, कैंटीन एवं क्लब में नियोजन	6.	होजियारी निर्माण में नियोजन
7	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्त) अधि० 1976 से आच्छादित नियोजन	7.	उड वर्क्स एवं फर्नीचर में नियोजन
8	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों में नियोजन	8.	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान में नियोजन
9	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माणकार्यों में नियोजन	9.	डेयरी एवं पोल्ट्रीफर्म्स में नियोजन
10	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लिनिक्स में नियोजन	10.	सिलाई उद्योग में नियोजन
11	किसी विश्व विद्यालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान में नियोजन	11.	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग में नियोजन
12	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी में नियोजन	12.	जिल्दसाजी उद्योग में नियोजन
13	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इंस्टिट्यूट, निजी स्कूल आदि (गैर शिक्षण) में नियोजन	13.	दफती, कार्डबोर्ड, पिलबोर्ड, कारगोटेड बोर्ड, एस्ट्राबोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण में नियोजन
14	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि में नियोजन	14.	प्लाइवूड उद्योग में नियोजन
15	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों में नियोजन	15.	बिस्कुट उद्योग में नियोजन
16	स्पंज आयरन, छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट में नियोजन	16.	मुद्रणालय में नियोजन
17	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाईप लाइन एवं केबुल बिछाने में नियोजन	17.	पोट्रीज में नियोजन
18	चार्टर्ड/कॉस्टअकाउंट्स/ऑडिटर/टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आर्किटेक में नियोजन	18.	बेकरीज एवं कान्फकेशन में नियोजन
19	मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य में नियोजन	19.	लॉन्ड्री एवं वॉशिंग में नियोजन

*R*

20	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट में नियोजन	20.	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स में नियोजन
21	अल्यूमिनियम उद्योग में नियोजन	21.	प्राइवेट फेरिज एण्ड एल०टी०सी० में नियोजन
22	केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल उद्योग में नियोजन	22.	फिशरीज में नियोजन
23	साबुन निर्माण उद्योग में नियोजन	23.	पंडाल आदि का साज सज्जा आदि में नियोजन
24	सीमेंट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग में नियोजन	24.	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर/ खलासी/ परिचालक आदि नियोजन
25	एसबेस्ट्स सीमेंट कारखाना में नियोजन	25.	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप में नियोजन
26	ग्लास सीट निर्माण में नियोजन	26.	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान में नियोजन
27	बन्दुक कारखाने में नियोजन	27.	कृषि नियोजन
28	पेपर उद्योग में नियोजन	28.	बुहारने और सफाई का कार्य में नियोजन
29	रिफ़ैक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग में नियोजन	29.	सिंदुर एवं रंग बनाने का उद्योग में नियोजन
30	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन	30.	केन्दू पत्ता तोड़ने एवं तैयार करने में नियोजन
31	शीशा उद्योग (ग्लास शीट को छोड़कर) में नियोजन	31.	लादने-उतारने में नियोजन
32	ढलाई (फाउण्ड्री उद्योग) में नियोजन	32.	मिट्टी काटने के कार्य में नियोजन
33	कोल ब्रिकेट उद्योग में नियोजन	33.	ईट निर्माण में नियोजन
34	मिनरल ग्राइंडिंग में नियोजन	34.	बीड़ी निर्माण में नियोजन
35	ग्राइंडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल ओर में नियोजन	35.	पावरलूम इण्डस्ट्रीज में नियोजन
36	हार्ड कोक भट्टा में नियोजन	36.	वन का संचालन तथा लकड़ी काटने के कार्यों में नियोजन
37	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं में नियोजन	37.	हेयर कंटिंग सैलून में नियोजन
38	चर्म-वस्तु निर्माण में नियोजन	38.	असली रेशम, कृत्रिम रेशम तथा स्टेपूल धागों से निर्माण सहित सिल्क उद्योग में नियोजन
39	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) में नियोजन	39.	पत्थर तोड़ने एवं पीसने में नियोजन
40	सीमेंट से हयूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग में नियोजन	40.	चाय बगान में नियोजन
41	डिस्टीलरी में नियोजन	41.	घरेलू नौकर का नियोजन
42	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाय में नियोजन		
43	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप में नियोजन		
44	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में नियोजन		
45	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) में नियोजन		
46	मोटर बॉडी बिल्डिंग में नियोजन		
47	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण में नियोजन		
48	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन		
49	झारखण्ड राज्य में सरकारी कार्यालयों / उपक्रमों / बोर्ड / स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के नियोजन		

Roc.

## झारखण्ड राज्य के जिलों / क्षेत्रों का वर्गीकरण

क्र०स०	श्रेणी	आच्छादित क्षेत्र
1	2	3
1	A	राँची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद् क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र।
2	B	"A" श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी जिलों के नगरनिकाय क्षेत्र (नगरनिगम, नगर परिषद् व नगर पंचायत)
3	C	राज्य के अन्य क्षेत्र

"A" श्रेणी के क्षेत्र (राँची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद् क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र) हेतु दिनांक-01.10.2024 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (V.D.A. सहित) इस प्रकार है:-

### दैनिक दरें

क्र. सं.	कोटि	"क" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें			"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें		
		दिनांक-11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक-01.10.2024 से देय)	कुल	दिनांक-11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक-01.10.2024 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	468	19	487	446	18	464
2	अर्द्धकुशल	491	20	511	468	19	487
3	कुशल	647	27	674	616	26	642
4	अतिकुशल	746	31	777	711	29	740

### मासिक दरें

क्र. सं.	कोटि	"क" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें			"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें		
		दिनांक-11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक-01.10.2024 से देय)	कुल	दिनांक-11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक-01.10.2024 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	12,168	504	12,672	11,596	480	12,076
2	अर्द्धकुशल	12,766	529	13,295	12,168	504	12,672
3	कुशल	16,822	696	17,518	16,016	663	16,679
4	अतिकुशल	19,396	803	20,199	18,486	765	19,251

*Rm*

"B" श्रेणी के क्षेत्र ("A" श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी जिलों के नगरनिकाय क्षेत्र) हेतु दिनांक-01.10.2024 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (V.D.A. सहित) इस प्रकार है:-

**दैनिक दरें**

क्र. सं.	कोटि	"क" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें			"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें		
		दिनांक-11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक-01.10.2024 से देय)	कुल	दिनांक-11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक-01.10.2024 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	446	18	464	425	18	443
2	अर्द्धकुशल	468	19	487	446	18	464
3	कुशल	617	26	643	588	24	612
4	अतिकुशल	712	29	741	678	28	706

**मासिक दरें**

क्र. सं.	कोटि	"क" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें			"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें		
		दिनांक-11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक-01.10.2024 से देय)	कुल	दिनांक-11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक-01.10.2024 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	11,596	480	12,076	11,050	457	11,507
2	अर्द्धकुशल	12,168	504	12,672	11,596	480	12,076
3	कुशल	16,042	664	16,706	15,288	633	15,921
4	अतिकुशल	18,512	766	19,278	17,628	730	18,358

*R.C.*

"C" श्रेणी के क्षेत्र (राज्य के नगर निकाय क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र) हेतु दिनांक-01.10.2024 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (V.D.A. सहित) इस प्रकार है:-

दैनिक दरें

क्र. सं.	कोटि	"क" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें			"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें		
		दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महंगाई भत्ता (दिनांक- 01.10.2024 से देय)	कुल	दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महंगाई भत्ता (दिनांक- 01.10.2024 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	425	18	443	405	17	422
2	अर्द्धकुशल	446	18	464	425	18	443
3	कुशल	588	24	612	560	23	583
4	अतिकुशल	678	28	706	646	27	673

मासिक दरें

क्र. सं.	कोटि	"क" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें			"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें		
		दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महंगाई भत्ता (दिनांक- 01.10.2024 से देय)	कुल	दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महंगाई भत्ता (दिनांक- 01.10.2024 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	11,050	457	11,507	10,530	436	10,966
2	अर्द्धकुशल	11,596	480	12,076	11,050	457	11,507
3	कुशल	15,288	633	15,921	14,560	603	15,163
4	अतिकुशल	17,628	730	18,358	16,796	695	17,491

*R.C.*

6. यह अधिसूचना दिनांक-01.10.2024 से प्रभावी होगी।

टिप्पणी :-

- (क) न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों का पुनरीक्षण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 386, जो जून, 2023 के सूचकांक व झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद की बैठक में हुए सहमति/विमर्श पर आधारित है।
- (ख) जनवरी, 2024 से जून, 2024 तक का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 402, के आधार पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है।
- (ग) झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद की सहमति के आलोक में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता पूर्णांक (round off) में परिवर्तित कर दिया गया है।
- (घ) न्यूनतम मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-4 की उप धारा-4(1) के खण्ड (III) के अन्तर्गत होंगी।
- (ङ) मासिक मजदूरी की दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में रूपांतरण क्रमशः 26 से भाग दे कर और 26 से गुणा कर के किया जाएगा।
- (च) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त निर्धारित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।
- (छ) साप्ताहिक विश्राम के दिन काम करने वाले कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम-25 में विहित दर से समयोपरि काम का भुगतान पाने का हकदार होगा।
- (ज) पुरुष या स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।



Annexure- 1

In the light of the consensus reaches in the meeting of Jharkhand Minimum Wages Advisory Board on October 11, 2023, the classification of 90 notified schedule Employments (including 12 Piece rated schedule Employments) fixed for the minimum wage revision and the classification of areas of Jharkhand state is made as follows :-

**Classification of 90 Scheduled Employments (including Piece Rate Employment)**

Sl. No.	CATEGORY "क" (Total 49 Employments)	Sl. No.	CATEGORY "ख" (Total 41 Employments)
1	2	3	4
1.	Employment in Shops selling cooked food stuff	1.	Employment in Khand Sari Industry
2.	Employment in Petrol & Diesel Pumps	2.	Employment in Khadi & Village Industry
3.	Employment in shops or establishment or industries other than that covered under any of the other entries in this schedule	3.	Employment in Mica Works (Factories & Estd. excluding Mines)
4.	Employment in Hotels, Eating Houses & Restaurants.	4.	Employment in Handloom Industries
5.	Employment in Cinema Industry	5.	Employment in Co-operative sector.
6.	Employment in Mess, Canteen & Clubs	6.	Employment in Hoseries Manufacturing.
7.	Employment in sales promotion (Conditions of service) Act, 1976.	7.	Employment in Wood works & Furniture.
8.	Employment in Dam Construction & Irrigation.	8.	Employment in Any woolen carpet making and shawl weaving establishments
9.	Employment in Construction or Maintenance of Road or in building construction.	9.	Employment in Dairies and Poultry Farms.
10.	Employment in Private Hospitals Nursing Homes and Clinics	10.	Employment in Tailoring Industry
11.	Employment in Any Universities, Educational Research or Cultural Institution.	11.	Employment in Electric & other type of Bulbs & Florence Tube manufacture Industry
12.	Employment in Private security agency.	12.	Employment in Book Binding Industry
13.	Employment in Private Technical Institution, Coaching Institute & Private Schools (Non-teaching).	13.	Employment in Dafti, Card Board, Mill Board, Corrageted Board, Gatta Board Manufactory.
14.	Employment in Computer Educational Institute etc.	14.	Employment in Plywood Industry

*R.*

15.	Employment in Rice Mill, Flour Mills, Dal Mills & Oil Mills.	15.	Employment in Biscuits Industry
16.	Employment in Sponge Iron, Rod Manufacturing & Manufacturing of angle from Iron & Ingots.	16.	Employment in Printing Press.
17.	Employment in laying of Under Ground Cables, Electronic lines, Water supply lines & Sewerage Pipe Line.	17.	Employment in Potteries.
18.	Employment in Chartered/Cost Accounts, Auditors, Tax Consultancy and Architects.	18.	Employment in Bakeries & Confectionaries.
19.	Employment in Mobile Tower	19.	Employment in Laundry & Washing.
20.	Employment in Public Motor Transport	20.	Employment in Ice cream and cold drink.
21.	Employment in Aluminum Industry	21.	Employment in Private Ferries and L.T.C
22.	Employment in Chemical Pharmaceutical Industry	22.	Employment in Fisheries.
23.	Employment in Soap Making Industry	23.	Employment in Decoration of Pandal etc.
24.	Employment in Cement prestressed products Industry.	24.	Employment in Bus and Truck Driver/Conductor & Cleaners.
25.	Employment in Asbestos Cement Factory	25.	Employment in Motor garages & Workshops.
26.	Employment in Glass Sheet Building	26.	Employment in Religious & Social Industry.
27.	Employment in Gun Factory	27.	Employment in Agriculture.
28.	Employment in Paper Industry	28.	Employment in Sweeping & Cleaning.
29.	Employment in Refractories, Fire Bricks, Ceramic Industry.	29.	Employment in Sindur and colour manufacturing Industries.
30.	Employment in Plastic Industry	30.	Employment in Plucking and Processing of kendo-leaves
31.	Employment in glass industries (excluding glass sheet)	31.	Employment in Loading and Unloading Operation.
32.	Employment in Foundry Industries	32.	Employment in Earth Cutting Operation
33.	Employment in Coal Briquette Industries	33.	Employment in Brick Manufacturing
34.	Employment in Mineral Grinding Industries	34.	Employment in Beedi Manufacturing.
35.	Employment in Grinding and Crushing of Mineral ore.	35.	Employment in Power Loom Industry
36.	Employment in Hard coke ovens.	36.	Employment in Forestry and Timbering Operation
37.	Employment in Tanneries & Leather manufactory.	37.	Employment in Hair Cutting Saloon
38.	Employment in Leather goods Manufacturing.	38.	Employment in Silk Industry Manufactory from pure Silk, artificial silk and other staple yarn
39.	Rubber and rubber compound industry (in	39.	Employment in Stone Breaking and Stone Crusher Operation

*R.C.*

	which manufacture of tyre & tube is also included) .		
40.	Employment in Cement Hume Pipe, Electric Pole & Railway Sleeper manufacture Industry	40.	Employment in Tea Plantation
41.	Employment in Distilleries.	41.	Employment of Domestic Servant
42.	Employment in Electricity Generators and supply.		
43.	Employment in Auto Mobile Engineering.		
44.	Employment in Electronic Industries.		
45.	Employment in Minor Engineering Industry (excluding Auto Mobile Engineering Shops)		
46.	Employment in Motor Body Building		
47.	Employment in Manufacture of Gold/Silver Ornaments & Articles of Artistic Design		
48.	Employment in Cold Storage.		
49.	Employments of workers engaged in Government Offices/Undertakings/Boards & Local Bodies in the state of Jharkhand.		

**Classification of districts/ areas of Jharkhand State.**

Sl.No.	Category	Covered Areas
1	2	3
1	A	Ranchi Municipal Corporation, Chas Municipal Corporation, Dhanbad Municipal Corporation, Deoghar Municipal Corporation, Hazaribagh Municipal Corporation and Jamshedpur Notified Area, Mango Municipal Corporation, Jugsalai Municipal Council and Adityapur Municipal Corporation Areas.
2	B	All Civic Body/ Municipal Areas and Notified Area except "A" category)
3	C	Other areas of the state.

Rt.

**The Minimum Wage for "A" Category area** (Ranchi Municipal Corporation, Chas Municipal Corporation, Dhanbad Municipal Corporation, Deoghar Municipal Corporation, Hazaribagh Municipal Corporation and Jamshedpur Notified Area, Mango Municipal Corporation, Jugsalai Municipal Council and Adityapur Municipal Corporation Areas) **from dated 01.10.2024** is as follows:-

**Daily Rates**

Sl.No.	Category	Daily wages for 'क' Category' of Employment			Daily wages for 'ख' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unskilled	468	19	487	446	18	464
2	Semi Skilled	491	20	511	468	19	487
3	Skilled	647	27	674	616	26	642
4	Highly Skilled	746	31	777	711	29	740

**Monthly Rates**

Sl.No.	Category	Daily wages for 'क' Category' of Employment			Daily wages for 'ख' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unskilled	12,168	504	12,672	11,596	480	12,076
2	Semi Skilled	12,766	529	13,295	12,168	504	12,672
3	Skilled	16,822	696	17,518	16,016	663	16,679
4	Highly Skilled	19,396	803	20,199	18,486	765	19,251

*Rc.*

**The Minimum Wage for "B" Category area (All Civic Body/ Municipal Areas and Notified Area except "A" category) from dated 01.10.2024 is as follows :-**

**Daily Rates**

Sl.No.	Category	Daily wages for 'क' Category' of Employment			Daily wages for 'ख' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unskilled	446	18	464	425	18	443
2	Semi Skilled	468	19	487	446	18	464
3	Skilled	617	26	643	588	24	612
4	Highly Skilled	712	29	741	678	28	706

**Monthly Rates**

Sl.No.	Category	Daily wages for 'क' Category' of Employment			Daily wages for 'ख' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unskilled	11,596	480	12,076	11,050	457	11,507
2	Semi Skilled	12,168	504	12,672	11,596	480	12,076
3	Skilled	16,042	664	16,706	15,288	633	15,921
4	Highly Skilled	18,512	766	19,278	17,628	730	18,358

*R.*

The Minimum Wage for "C" Category area (Areas other than municipal areas of the State) from dated 01.10.2024 is as follows

**Daily Rates**

Sl.No.	Category	Daily wages for 'क' Category' of Employment			Daily wages for 'ख' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unskilled	425	18	443	405	17	422
2	Semi Skilled	446	18	464	425	18	443
3	Skilled	588	24	612	560	23	583
4	Highly Skilled	678	28	706	646	27	673

**Monthly Rates**

Sl.No.	Category	Daily wages for 'क' Category' of Employment			Daily wages for 'ख' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unskilled	11,050	457	11,507	10,530	436	10,966
2	Semi Skilled	11,596	480	12,076	11,050	457	11,507
3	Skilled	15,288	633	15,921	14,560	603	15,163
4	Highly Skilled	17,628	730	18,358	16,796	695	17,491

*Rca*


6. This notification will be effective from 01.10.2024.

**NOTE:-**

- (a) The Basic rates of Minimum wages are based on the All India Consumer Price Index Number 386, which is Price Index of June, 2023
- (b) The average Consumer Price index from January, 2024 to June, 2024 is 402, on which variable dearness allowance is payable.
- (c) In the light of the consent of Jharkhand Minimum wage Advisory Board, the rate of variable dearness allowance has been rounded off.
- (d) The rates of Minimum Wages shall be within the meaning of clause (III) Of sub-section (1) of section-4 of the Minimum Wages Act, 1948.
- (e) Conversion of the monthly rates of wages into daily rates of wages and vice versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 and multiplying the daily rates by 26.
- (f) The rates of Minimum Wages above include the remuneration payable to the employees in respect of the day of rest in every period of seven days.
- (g) An employee shall, for the work done on the weekly day of rest, be entitled to overtime payment of the rate prescribed in rule-25 of the Jharkhand Minimum Wages Rules-1951.
- (h) Men and Women workers shall get the same rates of wages for the work of a similar nature .

No-2/MW-2071/2010(Bhag-3), L & T-.....Ranchi, Dated .....

By order of the Governor of Jharkhand,

  
Under Secretary,

Labour Commissioner Office, Jharkhand.

ज्ञापांक-2/एम०डब्लू०-2071/2010(भाग-3), श्र०नि०...1846 राँची, दिनांक: 14/10/24  
प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Rc.  
14/10/2024  
अवर सचिव,

श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।

ज्ञापांक-2/एम०डब्लू०-2071/2010(भाग-3), श्र०नि०...1846 राँची, दिनांक: 14/10/24  
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

Rc.  
14/10/2024  
अवर सचिव,

श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।

ज्ञापांक-2/एम०डब्लू०-2071/2010(भाग-3), श्र०नि०...1846 राँची, दिनांक: 14/10/24  
प्रतिलिपि:- अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उपनिदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम शक्तिभवन, नईदिल्ली / क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/ निदेशक, लेबर ब्यूरो, शिमला /चण्डीगढ़ /स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/ सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/ सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद (केन्द्रीय) श्रम शक्तिभवन, नई दिल्ली/ न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद के सभी सदस्य गण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम,राँची/ निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी विभागीय पदाधिकारियों (तकनीकी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

Rc.  
14/10/2024  
अवर सचिव,

श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।